कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना./स्था./2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्रीमती निर्मला देवी, प्रधानाचार्य, नारायणी देवी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय छावनी, नीम का थाना जिला सीकर का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुकाम, जिला बीकानेर किया गया था। तत्पश्चात श्रीमती निर्मला देवी को कार्यालय आदेश दिनांक 30.10.2019 द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, शिमला जिला चूरू किया गया जिसके विरूद्ध श्रीमती निर्मला देवी द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 3468/2019 निर्मला देवी बनाम निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 3468/2019 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.12.2019 द्वारा अपीलार्थी की अपील प्रत्यर्थी विभाग को प्रतिप्रेषित (REMAND) करते हुए अपीलार्थी को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी अपील में वर्णित आधारों पर रिक्त पद दर्शाते हुए एक अभ्यावेदन पेश करने और सक्षम अधिकारी द्वारा उपर्युक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने की स्थिति में उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में अभ्यावेदन प्राप्ति के 20 दिवस में एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) के माध्यम से नवीन आदेश प्रसारित कर निस्तारित करने और तब तक अपीलार्थी की कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण पर बल नहीं दिये जाने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में स्वयं के गम्भीर गुर्दा रोग (CHRONIC KIDNEY DISEASE) से पीडित होने, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त होने तथा अपनी विकट पारिवारिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अपना समायोजन/पदस्थापन राउमावि गाडराटा, खेतडी जिला झुन्झुनूं अथवा राउमावि बुर्जा की ढाणी, खंडेला/राउमावि रायपुर जागीर, नीम का थाना जिला सीकर में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर किये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय तथा राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरांगना तथा राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त कार्मिकों के आवेदनों को स्थानान्तरण में प्राथमिकता प्रदान किये जाने के अनुसरण में एवं अपीलार्थी की विकट शारीरिक व पारिवारिक परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपीलार्थी श्रीमती निर्मला देवी का समायोजन/पदस्थापन राउमावि रायपुर जागीर, नीम का थाना जिला सीकर में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर किया जाकर अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है।

श्रीमती निर्मला देवी, प्रधानाचार्य को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल अपने समायोजित स्थान पर कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा उनके विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम–17 के अन्तर्गत कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। सम्बन्धित सूचित हों।

(हिमांशु गुप्ता)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/निर्मला देवी/3468/2019 दिनांक 24/12/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरू संभाग, चूरू।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, सीकर को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्मला देवी के समायोजित

स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किये जाने की स्थिति में उनके विरूद्ध सीसीए–17 में अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव इस कार्यालय के विभागीय जांच अनुभाग को तीन दिवस के भीतर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, सीकर।
6. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, नीम का थाना जिला सीकर को निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश की पालना सुनिश्चित करावें।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. निर्मला देवी, प्रधानाचार्य को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी / रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)